भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2330

जिसका उत्तर 13 मार्च, 2025 को दिया जाना है।

.....

रामजल सेतु लिंक परियोजना

2330. डॉ. मन्ना लाल रावत:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान और मध्य प्रदेश की अंतरराज्यीय परियोजना रामजल सेतु लिंक परियोजना (संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक) का विस्तृत ब्यौरा क्या है;

(ख) केंद्र सरकार द्वारा इस परियोजना के लिए उपलब्ध कराए गए वित्तीय संसाधनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना में उपयोग किए जाने वाले जल की मात्रा तथा इससे लाभान्वित होने वाले क्षेत्र और जनसंख्या कितनी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) से (ग): चंबल नदी प्रणाली के जल के इष्टतम उपयोग को ध्यान में रखते हुए और राजस्थान और मध्य प्रदेश (एमपी) की राज्य सरकारों के साथ विभिन्न प्लेटफार्मों पर किए गए विचार-विमर्श के आधार पर, संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल (संशोधित पीकेसी) लिंक परियोजना के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसमें राजस्थान सरकार द्वारा यथा प्रस्तावित ईआरसीपी के घटकों सहित कूनो, पार्बती और कालीसिंध उप-बेसिनों में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित घटकों को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) के अंतर्गत संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना को एक नदियों की प्रायोरिटी इंटरलिंकिंग योजना घोषित किया गया है और इस लिंक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों और भारत सरकार के बीच दिसंबर, 2024 में एक समझौता ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

समझौता ज्ञापन के अनुसार, दोनों राज्यों के बीच 75% निर्भरता पर कूनो और पार्बती उप बेसिन में पानी का समान आदान-प्रदान होगा। राजस्थान के हिस्से से कूनो उपबेसिन में लगभग 116 मिलियन घन मीटर (एमसीएम) अधिशेष जल का उपयोग मध्य प्रदेश राज्य

द्वारा कूनो उपबेसिन में किया जाएगा, जबकि राजस्थान राज्य द्वारा पार्बती उपबेसिन के मुक्त आवाह भाग में मध्य प्रदेश के हिस्से से पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के लिए महलपुर बैराज से अपवर्तन हेतु 75% निर्भरता पर लगभग 116 मिलियन घन मीटर (एमसीएम) जल का उपयोग किया जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य संशोधित पीकेसी लिंक के तहत पहचान की गई पांच परियोजनाओं के माध्यम से ऊपरी चंबल बेसिन (लगभग 450 एमसीएम) में अतिरिक्त जल का उपयोग करेगा, जो इन परियोजना स्थलों पर 75% निर्भरता पर उपलब्ध पानी के अनुरूप है। ऊपरी चंबल बेसिन में पांच परियोजनाओं के माध्यम से मध्य प्रदेश द्वारा उपयोग किए गए पानी की समान मात्रा को प्रतिस्थापन आधार पर 75% से अधिक सफलता दर पर कालीसिंध उप-बेसिन से गांधीसागर जलाशय में स्थानांतरित किया जाएगा।

समझौता ज्ञापन के अनुसार, परिकल्पित परियोजना का उद्देश्य शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर जिलों को लगभग 1815 एमसीएम जल का उपयोग करके लगभग 6 लाख हेक्टेयर कमान क्षेत्र में वार्षिक सिंचाई का विस्तार करके और मालवा क्षेत्र सहित शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शाजापुर, आगर मालवा, राजगढ़, सीहोर, गुना, रतलाम, मंदसौर, उज्जैन, धार और देवास जिलों में लगभग 71 एमसीएम पेयजल आपूर्त कर मध्य प्रदेश राज्य को लाभ पहुंचाना है। राजस्थान में, संपर्क परियोजना से पूर्वी राजस्थान के 21 जिलों अर्थात झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, दौसा, करौली, भरतपुर, डीग, अलवर, खैरथल-तिजारा, कोटपुतली-बहरोड़, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, दूदू, अजमेर, ब्यावर, केकरी और मार्ग में आने वाले कस्बों और गांवों की लक्षित आबादी तथा तालाबों को पेयजल (लगभग 1744 एमसीएम) उपलब्ध कराने तथा इसके साथ-साथ दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे (डीएमआईसी) और क्षेत्र में अन्य उद्योगों के लिए लगभग 205 एमसीएम का औद्योगिक जल मांग को पूरा करने की परिकल्पना की गई है। राजस्थान में लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर के मौजूदा कमान क्षेत्र को स्थिर करने के साथ-साथ 2.5 लाख हेक्टेयर से अधिक नए कमान क्षेत्र की सिंचाई के लिए लगभग 1360 एमसीएम जल का प्रावधान भी है। दोनों राज्य वर्तमान में परियोजनाओं को केन्द्र सरकार को प्रस्तुत करने के लिए अंतिम रूप दे रहे हैं।

भारत सरकार द्वारा इस संपर्क परियोजना के लिए अब तक कोई वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।

*****